न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०–10, आगरा।
परिवाद सं०– 3531/2025

राजवती बनाम नरेन्द्र उर्फ पंकज आदि
थाना– अछनेरा,
जिला– आगरा।

दिनांक– 14.03.2026

1. पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.03.2026 प्रस्तुत किया गया। सुना गया।

2. प्रार्थिया/परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिया उक्त मुकदमे की वादिया है। इस कारण मुकदमा हालात से परिपूर्ण जानकार है। प्रार्थिया के उक्त मुकदमे के विपक्षीगण से तलाक हेतु राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थिया अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहती है इसलिये उक्त मुकदमा को समाप्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया के उक्त मुकदमा को समाप्त किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी के उक्त मुकदमे के विपक्षीगण से तलाक हेतु राजीनामा हो गया है। इस कारण परिवादिनी अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहती है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से राजीनामा के आधार पर उक्त पत्रावली प्रार्थनापत्र योजित कर विपक्षीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त/वापस किये जाने की याचना की गई। वर्तमान में पत्रावली में कोई भी तलबी आदेश पारित नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.03.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.03.2026 स्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

s/d
(मौ० साजिद–प्रथम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०– 10, आगरा।